:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला के पत्र संख्या 1128/वन भूमि दिनांक 02 अगस्त 2020 के द्वारा विकासखण्ड मोरी में आराकोट- कलीच- थुनारा-डामटी मोटर मार्ग 7.600 कि0मी0 एवं आराकोट-कलीच-थुनारा-डामटी(अवशेष भाग) मोटर मार्ग 5.00 कि0मी0 के निर्माण से प्रभावित होने वाली क्रमशः 5.6325 है. एवं 4.5375 है0 कुल 10.17 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में भारत सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 08बी0/ यू0सी0पी0/ 06/ 183/2016/ एफ0सी0/ 626 दिनांक 19-07-2017 एवं वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 213/ FP/ UK/ROAD/ 16964/2015 दिनांक 20 जुलाई 2017 के द्वारा विभाग को हस्तांतरित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या- 01 के अनुसार विभाग द्वारा ग्राम ग्राम डामटी थुनारा तहसील मोरी के फसली वर्ष 1423 से 1428 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ङ के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 1779/6.364है0, खसरा संख्या 1781/0.201है0 एवं खसरा संख्या 1783/16.344 है0 कुल रक्वा 22.909 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी पुरोला ने तहसीलदार मोरी के पत्र संख्या मेमो/र0का0/क्षति0वृक्षा0/2015 दिनांक 05 अक्टूॅबर 2015 को संस्तुति सहित अग्रसारित कर अवगत कराया गया है कि उपरोक्त मार्ग निर्माण से प्रभावित वन भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 02 गुनी भूमि ग्राम डामटी थुनारा की 1423 से 1428 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ङ के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 1779/6.364है0, खसरा संख्या 1781/0.201है0 एवं खसरा संख्या 1783/16.344 है0 कुल रक्वा 22.909 है0 सिविल सोयम भूमि प्रस्तावित की गयी है। उक्त भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है। प्रस्तावित भूमि पर कोई मन्दिर, शमशान, मस्जिद, धार्मिक स्थल, स्मारक, एतिहासिक स्थल एवं किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

शासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 के अनुसार भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात प्रस्तावों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है तथा सैद्धांतिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जायेगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिनमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भेजा गया है उनके लिए किये गये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तांतरित की जाए जिससे इन योजनाओं में और अधिक विलम्ब से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को एवं अतर्जनपदीय मामलों में सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधायित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

अतः अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला के अनुरोध पत्र के क्रम में उप जिलाधिकारी पुरोला/तहसीलदार मोरी की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 तथा शासनादेश संख्या 2173/ XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप विकासखण्ड मोरी में आराकोट-

विकासखण्ड मोरी में आराकोट- कलीच- थुनारा- डामटी मोटर मार्ग 7.600 कि0मी0 एवं आराकोट-कलीच-थुनारा-डामटी (अवशेष भाग) मोटर मार्ग 5.00 कि0मी0 के निर्माण से प्रभावित होने वाली क्रमशः 5.6325 है. एवं 4.5375 है0 कुल 10.17 है0 वन भूमि के सापेक्ष ग्राम ग्राम डामटी थुनारा की फसली वर्ष 1423 से 1428 में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ङ के खाता संख्या 23 के खसरा संख्या 1779/6.364है0, खसरा संख्या 1781/0.201है0 एवं खसरा संख्या 1783/16.344 है0 कुल रकबा 22.909 है0 सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

ह0/-
(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 8337/ग्यारह-विविध/2019-20 दिनांक 10 सितम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उप जिलाधिकारी, पुरोला ।
2- तहसीलदार, मोरी ।
3- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, पुरोला।
4- प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

प्रभारी अधिकारी,
कृते-जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
10/9/2020